उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)
Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226 001
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,लखनऊ-226 001, फोन- 0522-2287805,फैक्स-0522-2287798
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्याः 1622/पीएसडीएफ/2015 दिनॉकः जून 03, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमॉचल/पूर्वान्चल/दक्षिणॉचल/मध्यॉचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ/वाराणसी/आगरा/लखनऊ

महोदय,

शासनादेश संख्या 520/24-1-2014-27/2014 दिनॉक 24 मार्च 2014 द्वारा राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों पर राज्य सरकार को देय वैट की धनराशि की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी थी।

इस संबंध में वैट की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित ठेकेदारों को वैट की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया निम्नवत होगीः-

1. सभी ठेकेदारों द्वारा वितरण कम्पनियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अनुसार राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अर्न्तगत जो कार्य कराये जा रहे हैं उसके अर्न्तगत आपूर्ति की गयी सामग्री का बिल-वार ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा जिसका सत्यापन संबंधित भुगतान करने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. सामग्री के कय पर भुगतान किये गये परचेज़ टैक्स जिसका केडिट कम्पनी ने लिया है उस सीमा तक वैट की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही होगी अर्थात कम्पनी को प्रस्तुत बिल में दर्शायी गयी कुल वैट की धनराशि में से परचेज़ टैक्स की धनराशि घटाकर शेष धनराशि की ही प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
3. कम्पनी द्वारा वैट के भुगतान के लिये जो चालान जमा किया गया है उसकी प्रति भी प्राप्त करके वैट के क्लेम के साथ शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. संबंधित कम्पनियों ने पिछले महीनों में उत्तर प्रदेश में किये गये कयों के जो Tax Return दाखिल किये हैं उनमें उनके सभी कयों का ब्यौरा दिया गया है तथा कुल कय पर टैक्स की गणना करके एकमुश्त टैक्स का भुगतान किया है। अतः ऐसी स्थिति में पूरे monthly tax return तथा चालान के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टैक्स रिटर्न में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अर्न्तगत किये गये जो कय सम्मिलित हैं उन पर टैक्स की धनराशि तथा Purchase Tax का कितना केडिट सम्मिलित है।

5. यदि अनुबन्ध के अनुसार वैट की धनराशि स्वीकृत दर में सम्मिलित है तो वैट की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही होगी किन्तु यदि केवल फार्म "सी" के आधार पर केन्द्रीय भुगतान कर अनुबन्ध में सम्मिलित है तो फार्म "सी" न देने की दशा में प्रदेश में लगने वाले वैट की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

आपकी सुविधा के लिये वैट के क्लेम का एक प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(एस0के0 अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपिः—

1. अध्यक्ष, उप्रपाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उप्रपाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उप्रपाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (रिस्पो), उप्रपाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

कम्पनी का नाम:
जनपद का नाम:
अनुबन्ध की कुल धनराशि
ठेकेदार का नाम:

आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या एवं दि0	बिल की धनराशि	वैट की धनराशि	परचेज़ टैक्स की धनराशि	शुद्ध वैट

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुबन्ध संख्या————— दिनॉक——— जो जनपद जनपद ————में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य से संबंधित है, के अर्न्तगत उपरोक्त सामग्री के क्रय पर देय वैट की धनराशि में से परचेज़ टैक्स की घटाकर शेष धनराशि रू0 ———— का क्लेम वैट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। वैट की प्रतिपूर्ति के रूप में मॉगी गयी धनराशि रू0 ————का भुगतान चालान संख्या ———— दिनॉक ———— द्वारा ब्यापार कर विभाग को क़िया जा चुका है। यदि वैट के भुगतान के संबंध में कोई भी ब्यौरा असत्य पाया गया तो उसके लिये मेसर्स ———————— पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी